

जारी की जा रही है
 D.E.O.(5), H.O. एवं सचिवों के पत्र जारी करें
 दिनांक 1.5.19

राजस्थान सरकार
 शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 17(13)शिक्षा-1/2008

जयपुर, दिनांक : 05/03/2019

निदेशक,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर।

विषय :- परिपत्र/दिशा-निर्देशों को प्रत्याहारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा परिपत्र प. 17(13)शिक्षा-1/2008 जयपुर, दिनांक 14.06.2017 द्वारा जारी परिपत्र/दिशा-निर्देशों को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है।

भवदीय,


 (प्रदीप गोयल)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. विशिष्ट उप शासन सचिव, (गुप - 5) विभाग
9. उप शासन सचिव, (गुप - 2, 6) विभाग
10. सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
11. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
12. उप निदेशक, सांख्यिकी।
13. रक्षित पत्रावली।


 (जौ रणवीर सिंह)
 विशेषाधिकारी-शिक्षा

राजस्थान सकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 17(13)शिक्षा-1/2008

जयपुर, दिनांक : 05/03/2019

-: परिपत्र :-

माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल. एवं निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) की ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 एवं 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकाय में अलग-अलग) की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा 8, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 8 की बालिका को 40,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिका को 75,000 रुपये एवं कक्षा 12 की सभी वर्गों (संकायों) की बालिकाओं को 1,00,000 रुपये के साथ-साथ स्कूटी 'इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार' के रूप में दिया जावेगा। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का सम्पूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जायेगा।

इस योजना के नियम एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. यह योजना वर्ष 2019-20 से लागू होगी।
2. इस योजनान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 8, 10 एवं 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकाय में अलग-अलग) की परीक्षाओं में 1. सामान्य, 2. अनुसूचित जाति, 3. अनुसूचित जनजाति, 4. अन्य पिछड़ा वर्ग, 5. अल्पसंख्यक वर्ग, 6. अति पिछड़ा वर्ग, 7. बी.पी.एल. 8. निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) की बालिकाएँ, जिन्होंने उक्त बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में उक्त आठों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन आठ बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जावेगा।
3. कक्षा 8 (संस्कृत विभाग), प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में उपरोक्त वर्गों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जावेगा।
4. पुरस्कार स्वरूप कक्षा 8 कक्षा 10 एवं 12 की बालिकाओं को क्रमशः 40,000 रु. 75,000 एवं 1,00,000 रु. एवं प्रमाण पत्र दिये जावेंगे। कक्षा 12वीं (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकाय में अलग-अलग) एवं वरिष्ठ उपाध्याय की पुरस्कार प्राप्त बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जावेगी।
यदि उपरोक्त वर्णित वर्गों में किसी भी वर्ग में समान अंक प्राप्त करने वाली एक से अधिक बालिकाएँ हों तो सभी को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण पत्र दिये जावेंगे।
6. इस पुरस्कार हेतु उक्त वर्गों की जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

05/03/2019

7. उक्त पुरस्कार वितरण हेतु सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा नोडल अधिकारी होंगे।

8. नोडल जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात जिलेवार उपरोक्त सभी श्रेणियों की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को 15 अगस्त तक सम्पूर्ण विवरण (बालिका का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, पता, वर्ग, श्रेणी संकाय एवं प्राप्तांक आदि) सहित सूची आवश्यक रूप से प्रेषित की जावेगी।

संस्कृत शिक्षा की कक्षा 8, 10 (प्रवेशिका) एवं 12 (वरिष्ठ उपाध्याय) की राज्य में उपरोक्त श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं की सूची संबंधित संस्कृत सम्भागीय अधिकारी द्वारा तैयार की जाकर निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को 15 अगस्त तक प्रेषित की जायेगी।

9. इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार की पात्र बालिकाओं की जिलेवार सूची निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को उपलब्ध करवायी जावेगी।

10. नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा पुरस्कृत होने वाली समस्त बालिकाओं की सूचना संबंधित संस्था प्रधान एवं संबंधित बालिकाओं को भिजवाई जावेगी।

11. यह पुरस्कार बालिकाओं को नियमित अध्ययन करने पर ही दिया जायेगा। इसके लिए बालिका को वर्तमान में जहां अध्ययनरत है वहां के संस्था प्रधान द्वारा प्रदत्त नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. पुरस्कार की पात्र बालिका यदि नियमित अध्ययनरत नहीं है अर्थात् स्वयंपाठी या कौचिंग कर रही हो ऐसी बालिका को यह पुरस्कार उस वर्ष नहीं दिया जायेगा। यह पुरस्कार बालिका के अगले वर्ष नियमित प्रवेश लेने पर दिया जा सकेगा।

13. उक्त पुरस्कार हेतु पूरक परीक्षा परीणाम को शामिल नहीं किया जावेगा।

14. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिवस 19 नवम्बर को प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया जावेगा।

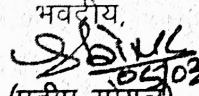
15. बोर्ड परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन पत्र में जिस जाति/वर्ग का कोड अभ्यर्थी द्वारा भरा गया है वही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

16. नोडल अधिकारी पुरस्कार वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से पुरस्कृत होने वाली प्रत्येक बालिका की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

17. इस योजना में पुरस्कृत होने वाली बालिका को संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Shri 10/10

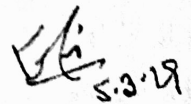
18. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा पुरस्कृत होने वाली बालिकाओं के प्रमाण-पत्र, बनवाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाये जावेंगे तथा पुरस्कार राशि बालिकाओं के बैंक खातों में हस्तान्तरित की जावेगी।
19. योजना में राजकीय एवं निजी विद्यालयों (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त) में अध्ययनरत बालिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा।
20. इस योजना पर होने वाला व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जायेगा।

भवदीय,

 (प्रदीप गोयल)
 03/03/2019

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा विभाग।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, (ग्रुप - 5) विभाग
9. उप शासन सचिव, (ग्रुप - 2, 6) विभाग
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
11. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
12. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन एवं प्रभारी वेब पोर्टल को भेजकर लेख है कि इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिकाओं का विवरण अपलोड करावें।
13. उप निदेशक, सांख्यिकी।
14. शिविरा सम्पादक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को भेजकर लेख है कि इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के उचित प्रचार-प्रसार हेतु इस परिपत्र को शिविरा पत्रिका में भी प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
15. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक
17. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
18. समस्त प्रधानाचार्य, डाईट।
19. रक्षित पत्रावली।


 5.3.19
 (डॉ. रणवीर सिंह)
 विशेषाधिकारी-शिक्षा